प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/47135/JLU/JALAUN/375/CFO**
दिनांक : **30-03-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **FATIMA MATA SCHOOL** पता **289,ORAI TO KALPI CITY ROAD,LANGERPUR KALPI** तहसील - **KALPI** प्लाट एरिया **21410 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3030.20** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
FATMA MATA SCHOOL	2	0	7.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **FATIMA MATA SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **01-04-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PRINCIPAL MR VALERIAN D SOUZA SO MR DAVID D SOUZA RO BISHOPS HOUSE 64 CANT JHANSI DIST JHANSI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-04-2022** से **31-03-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **FATIMA MATA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **FATIMA MATA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : यह एन0बी0सी0 आदेश संख्या 18/छः पु0-8-2022/905 (34)/2016 टी0सी0 गृह पुलिस अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2022 के आधार पर जारी की जा रही है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-04-2022
स्थान : JALAUN

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
RAMRAJA YADAV
53E082CAFB236EBABB72EFC1EF2BB7A9DC8AE208
01-04-2022

Note:- Kinlay check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.